Jharkhand Renewable Energy Development Agency
(State Govt. Agency Under Department of Energy, Jharkhand)

पत्रांक 230/2023 राँची, दिनांक 02/06/2023

सेवा में,

उपायुक्त,
दुमका/ देवघर / गोड्डा/ पाकुड़/ साहेबगंज / जामताड़ा/ हजारीबाग / कोडरमा/ चतरा /गिरिडीह/ बोकारो / धनबाद/ राँची / रामगढ़ / खूँटी / लोहरदगा / गुमला / पलामू / गढ़वा /सिमडेगा /लातेहार/पूर्वी सिंहभूम/ पश्चिमी सिंहभूम / सरायकेला

विषयः— पी०एम०कुसुम Component-C योजनान्तर्गत सिंचाई कार्य हेतु संबंधित जिला में ग्रिड आधारित पम्पसेटों के सोलराईजेशन कार्य हेतु इच्छुक किसानो के आवेदन एवं विवरणी उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE), भारत सरकार के स्वीकृत्यादेश संख्या 32/54/2018-SPV Division Dated 18.05.2022 एवं स्वीकृत्यादेश संख्या 32/54/2018-SPV Division Dated 05.08.2022 के माध्यम से विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय उत्पादन को बढ़ावा देने एवं किसानों के अतिरिक्त आय के उद्वेश्य से PM-KUSUM Component – C योजना अन्तर्गत निर्धारित टैरिफ पर ग्रिड से जुड़े विद्युत चालित पम्पसेटों को सोलर के माध्यम से संचालित कराया जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उल्लेखनीय है कि उक्त योजनान्तर्गत वैसे लाभुकों का चयन किया जाना है, जो वर्तमान में ग्रिड आधारित विद्युत के प्रयोग से पम्पसेट का संचालन कृषि कार्य के लिये करते हैं तथा उनके पास पर्याप्त छाया रहित स्थल हो। उक्त योजना के तहत पम्पसेट के सोलराईजेशन हेतु लागत राशि का **30%** राशि केन्द्र सरकार, **30%** राशि राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है, जबकि **40%** राशि लाभुक किसानों द्वारा लाभुक अंशदान के रूप में किया जायेगा। लाभुक अपने पम्प की क्षमता के दोगुनी क्षमता तक के सोलर पावर प्लांट का अधिष्ठापन करा सकते हैं।

पम्प की क्षमता के आधार पर निम्नवत् व्यय अनुमानित हैः—

क्र0	उपलब्ध पम्प का प्रकार (क्षमता)	अधिकतम सोलर पावर प्लांट की क्षमता (एच.पी. में)	सोलर पावर प्लांट की क्षमता कि0वा0 में)	ऑनग्रिड सोलर पावर प्लांट का दर (GST सहित)	ऑनग्रिड सोलर पावर प्लांट का कुल राशि (GST सहित)	राज्यांश (30 %)	केन्द्रांश (30 %)	लाभुक अंशदान (40 %)
1	1 HP	2 HP	1.50	85009.00	127513.50	38254.05	38254.05	51005.40
2	2 HP	4 HP	3.00	85009.00	255027.00	76508.10	76508.10	102010.80
3	3 HP	6 HP	4.50	85009.00	382540.50	114762.15	114762.15	153016.20
4	5 HP	10 HP	7.50	85009.00	637567.50	191270.25	191270.25	255027.00
5	7.5 HP	15 HP	11.00	85009.00	935099.00	280529.70	280529.70	374039.60

उपर्युक्त वर्णित दर ज्रेडा द्वारा ऑन ग्रिड सिस्टम बेस्ड पावर प्लंाट के लिये वित्तीय वर्ष 2022–23 में आमंत्रित निविदा में प्राप्त दर के अनुसार प्राक्कलित है। उक्त योजना के तहत ज्रेडा द्वारा निविदा आमंत्रण किये जाने पर दर /अनुदान एवं लाभुक अंशदान में परिवर्तन संभव है।

पी०एम०कुसुम Component-C के संदर्भ में उल्लेखित करना है कि :—

1. उक्त योजना के अन्तर्गत लाभुक अंशदान के लिये यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पी०एम०कुसुम Component-C के अन्तर्गत यदि किसान चाहे तो लाभुक अंशदान हेतु केन्द्रीय बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने में भी ज्रेडा द्वारा सहयोग किया जायेगा।
2. यह भी सुचित किया जाता है कि वैसे किसान जो पुराने ग्रिड आधारित (बिजली वाले) पम्प का उपयोग कर रहें हैं, जिससे बिजली की खपत ज्यादा होती है वे स्वंय के खर्च पर Star Rated Energy Efficient ग्रिड आधारित (बिजली वाले) पम्प का क्रय कर प्रयोग में लाते हैं तो वैसे किसानों को ज्रेडा द्वारा प्राथमिकता देते हुए पम्प को सोलराईज किया जायेगा।

3. पी०एम०कुसुम Component-C योजना पी०एम०कुसुम Component-B योजना से पूरी तरह भिन्न है। पी०एम०कुसुम Component-B योजना में जहाँ परम्परागत बिजली की उपलब्धता नही है वहाँ सोलर चालित स्टैण्ड एलोन पम्पसेट का अधिष्ठापन किसानों के यहाँ कृषि कार्य हेतु कराया जाता है, जबकि पी०एम०कुसुम Component-C योजना के अन्तर्गत किसानों के परम्परागत बिजली से संचालित पम्पों को सौर ऊर्जा के माध्यम से प्रयोग में लाये जाने हेतु सोलर प्लांट का अधिष्ठापन कराया जाना है।

4. पी०एम०कुसुम Component-C के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी मार्ग निर्देशिका पत्र के साथ संलग्न है।

ग्रिड आधारित सोलर पम्प्सेट को स्टैण्ड एलोन सोलर पावर प्लांट के अधिष्ठापन एवं पम्प के सौरकरण से पम्प की विद्युत आवश्यकता की पूर्ति होने के साथ–साथ अतिरिक्त बिजली ग्रिड को वापस दी जा सकती है, जिससे न सिर्फ कृषि कार्य हेतु ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति होगी बल्कि सौर विद्युतीय ऊर्जा से सिंचाई कार्य करने के उपरान्त अतिरिक्त उत्पन्न विजली को ग्रिड में वापस करने से किसान अतिरिक्त आय अर्जित कर सकतें हैं, जिससे उनमें आत्मनिर्भरता एवं आत्म सम्मान की भावना उत्पन्न होगी। साथ ही यह भू–जल के संरक्षित उपयोग में भी कारगर भूमिका निभा सकती है।

अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में अनुरोध है कि आपके जिलान्तर्गत चयनित लाभुको की सुची (विहित प्रपत्र में आवेदन सहित) यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ताकि योजना का क्रियान्वयन आरम्भ कराया जा सके। यह भी निवेदन है कि वर्तमान में इच्छुक किसान से किसी भी तरह का लाभुक अंशदान या शुल्क न लिया जाय। किसानों के अंतिम रूप से चयन के उपरान्त एवं निविदा आमंत्रित किये जाने के पूर्व ही किसानों से लाभुक अंशदान की राशि ली जाय।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

निदेशक,
ज्रेडा, राँची

जिला आवेदन संख्या.......................................(जिला विभाग द्वारा भरा जाएगा)

झारखण्ड सरकार

ऊर्जा विभाग

Jharkhand Renewable Energy Development Agency

(JREDA)

Application Form for Solarization of Grid Connected Pumpset Under PM Kusum Comp- C

सोलर पम्पसेट के लिए आवेदन का विहित प्रपत्र

Self Attested Photo of Beneficiary / लाभार्थी द्वारा स्वप्रमाणित फोटो

1. नाम : ....

2. पिता / पति का नाम : ....

3. स्थायी पता / पत्राचार का पता –ग्राम / मोहल्ला / सड़क / तालुका : ....

4. लिंग / Gender :- Male ☐ Female ☐ Others ☐

....डाकघर.. पंचायत ....

प्रखण्ड...थाना...जिला...पिनकोड ....

4. श्रेणी : अन्य पिछड़ा वर्ग / OBC ☐ समान्य / Gen ☐ अनुसूचित जाति / SC ☐ अनूसूचित जनजाति / ST ☐

5. आधार कार्ड संख्याः– (आधार कार्ड का छायाप्रापि संलग्न).......................................

6. . मोबाईल / फोन न० : .... 7. ईमेल आईडी : ....

8. लाभार्थी खेती के लिए पम्प उपयोग करते है : हां ☐ नहीं ☐ यदि हां तो निचे पूर्ण विवरणी भरें।

मौजूदा पम्प क्षमता :....................(एच.पी), मौजूदा पम्प का प्रकार सतह / surface ☐ सबमर्सिबल / Submersible पम्प ☐

बिजली का कनेकशन है कि नहीं : हां ☐ नहीं ☐ (यदि हां तो बिजली बिल इस पत्र के साथ संलग्न करें)।

9. उपभोक्ता संख्या / Electricity Bill Consumer Number ....

10. Discom :- ....Division ...., Sub-Division

Substation ....Feeder ....

ऊर्जा दक्षता पम्प हां ☐ नहीं ☐

यदि नही तो बिजली चालित पम्प कितना पुराना है (वर्ष एवं माह) में दर्ज करें। ....

पूर्व से चालित पम्प स्टार रेटेड है कि नहीं : हां ☐ नहीं ☐

यदि नहीं तो किसान अपने व्यय पे स्टार रेटेड पम्प लगाना चाहते हाँ ☐ नही ☐

पम्प किस ईधन पर कार्यरत है : बिजली ☐ डीजल ☐ जनरेटर ☐

(***नोट** : यदि लाभार्थी पम्प चलाने के लिए बिजली का उपयोग कर रहे है या जहाँ पर पम्प लगाया जाना है वहाँ बिजली की उपलब्धता है तो वे किसना पीएम कुसुम – सी योजना के तहत आवेदन करने के पात्र होंगे। केवल बिजली चालित पम्प का उपयोग करने वाले किसान और जिन किसानों के पास बिजली से संचालित पम्प उपलब्ध है वे किसान इस योजना में आवेदन करने के पात्र है।)

9. सिंचाई के लिऐ पानी का स्त्रोत : कूप ☐ बोरवेल ☐ तलाब ☐ नहर ☐ नदी ☐ अन्य ☐

10. पानी का जलस्तर..(केवल बोरवेल /कूप के लिए)

11. पम्प लगाने के स्थान का पूर्ण विवरणी ग्राम/मोहल्ला/सड़क/तालुका : ....

....डाकघर... पंचायत ....

प्रखण्ड...थाना...जिला...पिनकोड ....

12. लाभार्थी के भूमि का विवरण..एकड़ एंव..वर्ग मीटर में।

13. लागान रसीद की अंतिम भुगतान की तिथी : तारीख.......................... महीना............................वर्ष..................................

14. आवश्यक सोलर पम्प क्षमता (एच.पी): 2 एच.पी. ☐ 3 एच.पी. ☐ 5 एच.पी. ☐ AC पम्प ☐ DC पम्प ☐ Surface पम्प ☐

15. एकल किसान : हाँ ☐ नहीं ☐ (अगर हाँ तो Annex 1 भरे)/किसानों का समूह : हाँ ☐ नहीं ☐ (अगर हाँ तो Annex 1, 2 भरे)

16. प्रमुख फसल का विवरणी : रबी ☐ खरीफ ☐ जायद ☐ (किसान जिन फसल की खेती कर रहे है उस पर निशान लगाए) अथवा अन्य कोई फसल..

17. किसान वार्षिक आय रू ....

***नोटः कोई भी एकल किसान और किसान समूह योजना के तहत एक से अधिक बिजली चालित पम्प को सौर ऊर्जा से संचालित करने के लिए हकदार नही होगें।**

18. आवेदन पत्र पर एक स्वहस्ताक्षरित फोटो (पासपोर्ट साईज) के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलगन करें

I. पहचान पत्र (आधार कार्ड)
II. आवासीय प्रमाण पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशनकार्ड, बिजली बिल)
III. जमीन का अघतन लगान रसीद।
IV. कार्य प्रारंभ होने से पहले अधिष्ठापन स्थल पर निर्धारित व्यास /साईज का बोरिंग अच्छी स्थिति मे उपलब्ध कराने की घोषणा आवेदन में या आवेदन के साथ अनुलग्नक–1 जमा करें।
V. एक किसान /किसान समूह को एक से अधिक सोलर पम्प नहीं दिया जा सकता है।
VI. नोटरी से निर्गत घोषणा पत्र।

लाभुक किसान के बैंक विवरण

Account Holder Name: - ....

Bank Name: - .... IFSC Code: - ....

Account Number: - ....

Branch:-................................... Account Type: - ....

Signature of Beneficiary /लाभुक का हस्ताक्षर या बायें अंगठे का निशान : –

लाभुक का नाम : ....

तिथि : ....

स्थान : ....

जिला कार्यालय के उपयोग के हेतु

1.1. क्या लाभार्थी सीमांत किसान है : हाँ ☐ नहीं ☐ ('√' निशान लगाए)

नोट :– सीमांत किसान का अर्थ है 1 हेक्टेयर (2.5 एकड़) तक की कृषि भूमि (मालिक, किरायेदार या बटाईदार के रुप में) खेती करने वाला किसान।

1.2 क्या लाभार्थी में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित की है : हाँ ☐ नहीं ☐ ('√' निशान लगाए)

(कृषि विभाग / जल संसाधन विभाग द्वारा किसान को जारी स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र के आधार पर सत्यापन करें।)

Annexure-1
(व्यक्तिगत किसान हेतु)

घोषणा पत्र (Declaration Form)

मैं...पिता...ग्राम...

पंचायत...प्रखण्ड...जिला...झारखण्ड का

निवासी हूँ। शपथ पूर्वक एकरार करता हूँ, मेरा स्थायी, पत्राचार का पता एंव अन्य विवरणी निम्नवत् हैः—

1. **स्थायी पता :—**

   नाम : ....पिता / पति का नाम...

   ग्राम / मोहल्ला / सड़क : ....डाकघर... पंचायत ....

   प्रखण्ड...थाना...जिला...पिनकोड ....

2. **पत्राचार का पता :—**

   नाम : ....पिता / पति का नाम...

   ग्राम / मोहल्ला / सड़क : ....डाकघर... पंचायत ....

   प्रखण्ड...थाना...जिला...पिनकोड ....

3. यह कि ग्राम... पंचायत... प्रखण्ड... के अन्तर्गत रैयती / खरीदगी जमीन कुल रकवा...(एकड) खाता नम्बर... खेसरा नम्बर...जो मेरे .... के नाम से दर्ज है, जिसका लगान का रसीद माह..................20........ तक जमा है। रसीद का छायाप्रति (हस्ताक्षरित) संलग्न है।
4. खतियानी जमीन के स्थिति में वंशावली का पूर्ण ब्यौरा जिसमें आवेदक का स्थान तथा कुल रकबा के अंश का विवरण स्पष्ट वर्णित है। (वंशावली विवरण संलग्न)
5. मेरे तथा मेरे परिवार के किसी सदस्य द्वारा पूर्व में केन्द्र तथा राज्य से प्रायोजित योजना के अंतर्गत बिजली चालित पम्प को सौर ऊर्जा से ऊर्जान्वित करने का लाभ नही लिया गया है।
6. उपरोक्त में निहित जमीन का ब्यौरा मेंरे नाम पर है एवं कोई और उस जमीन के नाम पर सोलर वॉटर पम्प का लाभ नहीं लिया है।
7. उपरोक्त में निहित जमीन का ब्यौरा मेंरे... के नाम पर है, और मेरे अलावा कोई और उसका अधिकारिक दावा करके इस योजना का लाभ नही ले सकता है। (घोषणा पत्र जिसके नाम पर जमीन है संलग्न)
8. पूर्व में मेरे पास कोई वॉटर पम्प :— हाँ ☐ नहीं ☐ अगर हाँ तो उसका विवरण...
9. पम्प लगाने के स्थान पर बिजली की उपलब्धता : हाँ ☐ नहीं ☐ (भरना अनिवार्य है)
10. यह कि मेरे अंश कि सिचाई हेतु उपलब्ध कुल रकबा .... एकड़ में .... फीट गहराई का... बोरवेल / कुँआ उपलब्ध है जिसमें गर्मी के सीजन में पानी का लेवल.........................फीट की गहराई पर है।

11. सरकार द्वारा ज्रेडा के माध्यम से अनुदानित दर पर प्राप्त सिंचाई हेतू सोलर प्लांट की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन के उपरान्त सभी तरह की सुरक्षा की जावाबदेही मेरी होगी एवं इसका उपयोग सिचांई कार्य हेतु करूँगा एवं सोलर पम्प का विक्रय या हस्तांतरण नहीं होगा।

12. निदेशक ज्रेड़ा ("Director JREDA" Payable at "Ranchi") के नाम से लाभुक अंशदान की राशि रु.. का बैंक का नाम..बैंक ड्राफ्ट संख्या...दिनांक.. समर्पित तिथि..के साथ समर्पित कर रहा हूँ।

13. सोलर प्लांट की स्थापना हेतु छाया रहित स्थान उपलब्ध कराने की पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।

14. यदि लाभार्थी पम्प चलाने के लिए बिजली का उपयोग कर रहे है या जहाँ पर पम्प लगाया जाना है वहाँ बिजली की उपलब्धता है तो वे किसना पीएम कुसुम – सी योजना के तहत आवेदन करने के पात्र होंगे। केवल बिजली चालित पम्प का उपयोग करने वाले किसान और जिन किसानों के पास बिजली से संचालित पम्प उपलब्ध है वे किसान इस योजना में आवेदन करने के पात्र है।)

Signature of Beneficiary /लाभुक का हस्ताक्षर या बायें अंगुठे का निशान : –

लाभुक का नाम :– ....

तिथि :– ....

स्थान :– ....

जिला स्तरीय कमीटी द्वारा अनुशंसा

आवेदक के आवेदन को जिला स्तरीय कमीटी द्वारा जाँचोपरान्त अनुमोदित किया जाता है। ....
....

अनुशंसा करने वाले नोडल पदाधिकारी का हस्ताक्षर :–

नाम : ....

पदनाम : ....

दुरभाष संख्या : ....

मुहर : ....

Annexure-2
(किसान समूह हेतु)

समूह के मुखिया का नाम : ....

आवासीय पता/स्थायी पता : ....

....

समूह के मुखिया का भूमि विवरण : ....

नाम,पता एवं समूह के सदस्यों का भूमि विवरण :–

1. नाम :..पता :.. समूह के सदस्यों के भूमि का विवरणी ....(एकड़/कट्ठा में)
2. नाम :..पता :.. समूह के सदस्यों के भूमि का विवरण ....(एकड़/कट्ठा में)
3. नाम :..पता :.. समूह के सदस्यों के भूमि का विवरण ....(एकड़/कट्ठा में)
4. नाम :..पता :.. समूह के सदस्यों के भूमि का विवरण ....(एकड़/कटठा में)

1. समूह के सदस्य का हस्ताक्षर :
2. समूह के सदस्य का हस्ताक्षर :
3. समूह के सदस्य का हस्ताक्षर :
4. समूह के सदस्य का हस्ताक्षर :

नोट : अगर किसान समूह में चार से ज्यादा किसान हैं, तो समूह के किसान अपनी जरुरी विवरणी Annexure-2 का एक और कॉपी भरके संलग्न करें।

समूह के प्रत्येक व्यक्तिगत किसानों द्वारा संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज

1. समूह के सभी किसानों का पहचान् पत्र (आधार कार्ड) 2. समूह के सभी किसानों का आवासीय प्रमाण पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशनकार्ड, बिजली बिल) 3. समूह के सभी किसानों का जमीन का अघतन लगान रसीद 4. समूह के सभी किसानों की एक स्व–सत्यापित हाल की फोटो।

शपथ–पत्र
(नोटरी से निर्गत)

मैं..पिता..ग्राम..

पंचायत... प्रखण्ड... जिला... झारखण्ड

का निवासी हूँ। शपथ पूर्वक एकरार करता हूँ, मेरा स्थायी एंव पत्राचार का पता एंव विवरणी निम्नवत् हैः–

1. **स्थायी पता :–**

नाम : ....पिता / पति का नाम...

ग्राम / मोहल्ला / सड़क : ....डाकघर... पंचायत ....

प्रखण्ड..थाना..जिला...पिनकोड ....

2. **पत्राचार का पता :–**

नाम : ....पिता / पति का नाम...

ग्राम / मोहल्ला / सड़क : ....डाकघर... पंचायत ....

प्रखण्ड..थाना..जिला...पिनकोड ....

3. यह कि ग्राम... पंचायत... प्रखण्ड.. के अन्तर्गत रैयती / खरीदगी जमीन कुल रकवा..................................(एकड़) खाता नम्बर...................................... खेसरा नम्बर............................... जो मेरे .... के नाम से दर्ज है, जिसका लगान का रसीद माह...................20........ तक जमा है। रसीद का छायाप्रति (हस्ताक्षरित) संलग्न है।

4. खतियानी जमीन के स्थिति में वंशावली का पूर्ण ब्यौरा जिसमें आवेदक का स्थान तथा कुल रकबा के अंश का विवरण स्पष्ट वर्णित है। (वंशावली विवरण संलग्न)

5. मेरे तथा मेरे परिवार के किसी सदस्य द्वारा पूर्व में केन्द्र तथा राज्य से प्रायोजित योजना के अंतर्गत बिजली चालित पम्प को सौर ऊर्जा से ऊर्जान्वित करने का लाभ नहीं लिया गया है।

6. उपरोक्त में निहित जमीन का ब्यौरा मेंरे नाम पर है एवं कोई और उस जमीन के नाम पर सोलर वाटर पम्प का लाभ नहीं लिया है।

7. उपरोक्त में निहित जमीन का ब्यौरा मेरे.. के नाम पर है, और मेरे अलावा कोई और उसका अधिकारिक दावा करके इस योजना का लाभ नही ले सकता है। (घोषणा पत्र जिसके नाम पर जमीन है संलग्न)

8. पूर्व में मेरे पास कोई वॅाटर पम्प :– हाँ ☐ नहीं ☐ अगर हाँ तो उसका विवरण...

9. पम्प लगाने के स्थान पर बिजली की उपलब्धता : हाँ ☐ नहीं ☐ (भरना अनिवार्य हैं)

10. यह कि मेरे अंश कि सिचाई हेतु उपलब्ध कुल रकबा .... एकड़ में .... फीट गहराई का.................. बोरवेल / कुँआ उपलब्ध है जिसमें गर्मी के सीजन में पानी का लेवल.........................फीट की गहराई पर है।

11. सरकार द्वारा ज्रेडा के माध्यम से अनुदानित दर पर प्राप्त सिंचाई हेतू सोलर प्लांट की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन के उपरान्त सभी तरह की सुरक्षा की जावाबदेही मेरी होगी एवं इसका उपयोग सिचाई कार्य हेतु करूँगा एवं सोलर पम्प का विक्रय या हस्तांतरण नहीं होगा।

12. निदेशक ज्रेड़ा ("Director JREDA" Payable at "Ranchi") के नाम से लाभुक अंशदान की राशि रु.. का बैंक का नाम...बैंक ड्राफ्ट संख्या..दिनांक.. समर्पित तिथि...के साथ समर्पित कर रहा हूँ।

13. सोलर प्लांट की स्थापना हेतु छाया रहित स्थान उपलब्ध कराने की पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।

14. यदि लाभार्थी पम्प चलाने के लिए बिजली का उपयोग कर रहे है या जहाँ पर पम्प लगाया जाना है वहाँ बिजली की उपलब्धता है तो वे किसान पीएम कुसुम – सी योजना के तहत आवेदन करने के पात्र होंगे। केवल बिजली चालित पम्प का उपयोग करने वाले किसान और जिन किसानों के पास बिजली से संचालित पम्प उपलब्ध है वे किसान इस योजना में आवेदन करने के पात्र है।

Signature of Beneficiary /लाभुक का हस्ताक्षर या बायें अंगुठे का निशान : –

लाभुक का नाम :– ....

तिथि :– ....

स्थान :– ....